हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 अप्रैल, 2007

संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/एन.टी.(एस.जी.-पी.एन.पी.)/6/सी.ए./2007/1616.—पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हिरयाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट तथा इससे संलग्न योजना में दर्शाये गये अनुसार जिला पानीपत के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थातः

अनुसूची

जिला पानीपत के इर्द-गिर्द नियंत्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईग संख्या डी.टी.पी.(पी.एन.)302/2006, दिनांक 04 मई, 2006 के साथ पढ़ा जाए।

- उत्तरः बिन्दु 'ए', जो कि गाँव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 206 का उत्तर—पश्चिम कोना है, से प्रारम्भ करते हुए पूर्व की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 206, 205, 204 तथा 203 की उत्तरी सीमा के साथ—साथ, उस बिन्दु तक जहां यह गांव बुढनपुर (हदबस्त संख्या 92) की पश्चिमी राजस्व सीमा से मिलती है, तत्पश्चात् उत्तर तथा पूर्व की ओर गांव बुढनपुर (हदबस्त संख्या 92) की पश्चिमी तथा उत्तरी सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'बी' अर्थात् गांव बुढनपुर (हदबस्त संख्या 92) की आयत संख्या 5 के उत्तर—पूर्व कोने तक।
- पूर्वः तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से दक्षिण की ओर गांव बुढनपुर (हदबस्त संख्या 92) की पूर्वी राजस्व सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'सी' तक, जहां यह जिला सोनीपत की जिला सीमा से मिलती है।
- दक्षिणः तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से पश्चिम की ओर जिला सोनीपत की जिला सीमा तथा गांव बुढनपुर (हदबस्त संख्या 92) तथा गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की दक्षिणी राजस्व सीमा के साथ—साथ, बिन्दु 'डी' अर्थात् गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 218 के दक्षिण—पश्चिम कोने तक।
- पश्चिमः तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से उत्तर की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 218 तथा 212 की पश्चिमी सीमा के साथ—साथ, तत्पश्चात् पश्चिम की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 206 की दक्षिणी सीमा के साथ—साथ, तत्पश्चात् उत्तर की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 206 की पश्चिमी सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'ए' तक, जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है।

शकुन्तला जाखू, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 20th April, 2007

No. CCP (NCR)/NT(SG-PNP)/6/CA/2007/1616.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the area in district Panipat as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purpose of the said Act, namely:-

Schedule

Schedule of boundary of the controlled area in district Panipat to be read with drawing no. DTP(PN)302/2006, dated the 4th May, 2006.

North: Starting from point "A", i.e. north-west corner of rectangle no. 206 of village Rakashera (Hadbast no. 91), towards east along northern boundary of rectangle no. 206, 205, 204 and 203 of village Rakashera (Hadbast no. 91) up to the point where it meets the western revenue boundary of village Budanpur (Hadbast no. 92), thence towards north and east along western and northern boundary of village Budanpur (Hadbast no. 92) up to point "B" i.e. north-east corner of rectangle no. 5 of village Budanpur (Hadbast no. 92).

East: Thence moving from point "B" towards south along the eastern revenue boundary of village Budanpur (Hadbast no. 92) up to point "C" where it meets with district boundary of district Sonepat.

South: Thence moving from point "C" towards west along district boundary of district Sonepat as well as the southern revenue boundary of village Budanpur (Hadbast no. 92) and village Rakashera (Hadbast no. 91) up to the point "D" i.e. south-west corner of rectangle no. 218 of village Rakashera (Hadbast no. 91).

West: Thence moving from point "D" towards north along western boundary of rectangle no. 218 and 212 of village Rakashera (Hadbast no. 91), thence towards west along southern boundary of rectangle no. 206 of village Rakashera (Hadbast no. 91), thence towards north along western boundary of rectangle no. 206 of village Rakashera (Hadbast no. 91) up to point "A" i.e. the point of starts.

SHAKUNTLA JAKHU,

Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Town and Country Planning Department.